न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/58/2022	2022/124	21.03.2022	21.05.2024

1. मदनलाल पुत्र श्री ख्यालीराम, जाति ब्राह्मण, निवासी धमरेड, तहसील राजगढ, जिला अलवर, राजस्थान।
2. राधेश्याम पुत्र श्री ख्यालीराम, जाति ब्राह्मण, निवासी धमरेड, तहसील राजगढ, जिला अलवर, राजस्थान।
3. शिम्भूदयाल पुत्र श्री ख्यालीराम, जाति ब्राह्मण, निवासी धमरेड, तहसील राजगढ, जिला अलवर, राजस्थान।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर राज0 दिनांक 23.02.2022 प्रकरण संख्या 79/2021 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 जिसके द्वारा विधि विरूद्ध व बेजा तरीके पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किए जाने व अर्थदण्ड व 01 माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर अहकाम जारी करने के आदेश पारित किये गए। बमुराद मनसुखी उपरोक्त निर्णय तथा स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्टान व दीगर दादरसी।

उपस्थितः–

01. श्री अजीत कुमार यादव –वकील अपीलाण्ट्स
02. राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पोडैन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर राज0 दिनांक 23.02.2022 प्रकरण संख्या 79/2021 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 जिसके द्वारा विधि विरूद्ध व बेजा तरीके पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किए जाने व अर्थदण्ड व 01 माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर अहकाम जारी करने के आदेश पारित से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि पटवारी हल्का धमरेड तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

तहत एक रिपोर्ट इश आशय की पेश की गैर सायल मदनलाल, राधेश्याम, शिम्भूदयाल पुत्रान ख्यालीराम जाति ब्राह्मण निवासी धमरेड तहसील राजगढ जिला अलवर के द्वारा ग्राम धमरेड की राजकीय सिवायचक गैर मु0 नाला भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.51 है0 में से रकबा क्रमश 0.35 है0, भूमि पर फसल रबी सम्वत 2078 में सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर तहत अदालत में प्रकरण संख्या 79/2021 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज किया गया और उक्त प्रकरण का आलोच्य निर्णय दिनांक 23.02.2022 से निस्तारण किया जाकर अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर बेदखल करने व अर्थदण्ड व 01 माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर अहकाम जारी करने के आदेश विधि विरूद्ध व बेजा तरीके पर पारित किए गए है कि जिस निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है। जो कि निम्न आधार पर स्वीकार होने योग्य है। उक्त विवादित आराजी पर अपीलान्ट बुजुर्गों के समय सम्वत 2047 से लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं तथा अपीलान्टान उपरोक्त आराजी जिसकी सिवायचक लगानी किस्म है जिसका लगान राजस्व राजस्व किराया अपीलान्टान नियमानुसार जमा कराते चले आ रहे हैं तथा अपीलान्टान के द्वारा पेश किया गया था। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्टान कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये व बिना मौका निरीक्षण किये, अपीलाण्टान के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर धारा 91 जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जांच किए व बिना मौका निरीक्षण किये, जो गलत एवं मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है, निरस्त फरमाया जावें जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट को मौके की स्थिति एवं विधि विरूद्ध नोटिस जारी किया गया। मिन अपीलान्टान ने किसी सरकारी भूमि सिवायचक गैर मुमकिन नाला पर नाजायज कब्जा अथवा अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि उक्त आराजी मौके पर गैर मुमकिन नाला नही है तथा अपीलान्टान के द्वारा बुजुर्गों के समय से काश्त की जा रही है और उक्त आराजी मौके पर काश्तकारी आराजी है लेकिन तहत अदालत ने कोई सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया। मात्र पटवारी हल्का की बिना पैमाईश खिलाफ मौका रिपोर्ट के आधार पर बिना कोई मौका निरीक्षण किये आलौच्य निर्णय एक पक्षीय पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

हल्का पटवारी धमरेड के द्वारा तहत अदालत में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिसमें अपीलान्टान की तामील उपरांत अपीलान्टान के द्वारा गलत नोटिस का विस्तृत जबाव भी पेश कर तहत अदालत से निवेदन किया था उसकि बाबजूद तहत अदालत के द्वारा अपीलान्टान के प्रस्तुत जबाव पर गौर नहीं किया गया और अपीलान्टान को साक्ष्य और जिरह का अवसर नहीं दिया गया और बेजा तौर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अपीलान्टान को उक्त आराजी से बेदखल कर अर्थदण्ड व सजा से दण्डित किया है तथा रेस्पोडेन्ट के द्वारा तहत अदालत में किसी प्रकार पश्चातवर्ती बेदखली का आदेश की सत्यप्रतिलिपि पत्रावली पर पेश नहीं की तथा तहत अदालत के आदेश दिनांक 23.02.2011 में अपीलान्टान को दिनांक 26.02.2022 को भौतिक रूप से बेदखल किया जा चुका है दर्ज किया है। जो गलत है। तथा आदेश दिनांक 23.02.2022 में हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 21.02.2022 दर्शाया है। जबकि प्रकरण दिनांक 03.01.2022 को पेश होकर दर्ज किया गया है जो भी संभव नहीं है तथा आदेशिका दिनांक 10.01.2022 में अपीलान्टान के द्वारा जबाव पेश होना दर्ज किया जाकर पत्रावली बिना किसी साक्ष्य के सीधे रूप से अपीलान्टान को बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.01.2022 दर्ज किया है। जो अविधिक है तथा दिनांक 13.01.2022 को अपीलान्टान के द्वारा साक्ष्य का ऐजराज किये जाने के बाबजूद आदेशिका दिनांक 13.01.2022 में अपीलान्टान की बहस सुनी जाना लिखकर वास्ते निर्णय दिनांक 20.01.2022 दर्ज है। तथा उसके पश्चात आदेशिका दिनांक 20.01.2022 को

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अपीलांटान की गैर मौजुदगी में मनमाने तरीके से हल्का पटवारी के बयान दर्ज कर पत्रावली दिनांक 21.02.2022 को पेश होना दर्ज कर आदेशिका दिनांक 21.02.2022 को बिना बहस व अपीलांटान के साक्ष्य एवं जिरह का अवसर बन्द किये निर्णय पारित किया है। उक्त समस्त आदेशिका भी तहत अदालत के द्वारा मनमाने तरीके से निर्णय दिनांक को ही तैयार कर लिखी गई, जिससे तहत अदालत का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तु कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत तहसीलदार राजगढ जिला अलवर राजस्थान का निर्णय दिनांक 23.02.2022 बसिलसिले प्रकरण संख्या 79/2021 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलाण्ड को नोटिस के भार से मुक्त फरमाया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलव किया गया। रैस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन कराया उसमें अंकित विपरीत तथ्यों का मिलान करवाया। यह निवेदन किया की हमारा अतिक्रमण नहीं है। हमें सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। जिससे हमारे हक–हकूक के बारें पूरे तथ्य न्यायालय में नहीं रख पाये। न्यायालय द्वारा हमारे द्वारा पेश तथ्यों का अंकन भी नहीं किया एवं मनमानें आदेश पारित किये हैं जो कि न्याय के खिलाफ हैं। पत्रावली पर मौजूद रिकॉर्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकर किया, बहस में अंकित तथ्यों का रिकॉर्ड से मिलान किया गया। आदेशिका में विपरीत तथ्यों का अंकन है। उक्त विश्लेषण के अनुसार अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया में त्रुटि पाई जाती है। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 23.02.2022 प्रकरण संख्या 79/2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रभावित पक्षों को विधिवत सुनकर, साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर विधिवत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)